

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप - 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

(3) करणपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचकों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अन्तर्विष्ट उपबंधों में :-

मैं घोषणा करती हूँ कि :-

श्री गुरमीत सिंह कुनर (नाम),


गांव 25 बीबी, तह0 पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (पता),

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (पंजीकृत/मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल का नाम) के द्वारा खड़े किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान- श्रीगंगानगर

तारीख- 11.12.2018


सिनीगा
निर्वाचन अधिकारी
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
उपर्युक्त अधिकारी एवं तहसिलदार, मजिस्ट्रेट
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र करणपुर-3

**Conduct of election rules, 1961
(Statutory Rules and Order)**

FORM 21C
(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to Legislative Assembly of Rajasthan State from (3) Karanpur Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961,

I declare that—


Shri Gurmeet Singh Kooner (Name)

Village 25BB, Teh. Padampur District Sriganganagar (Address)

sponsored by **Indian National Congress** (name of the recognised /registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : - Sri Ganganagar

Date :- 11/12/2018


(Reena)
Returning Officer
Assembly Constituency Karanpur (3)
Sub Divisional Office
Karanpur (3)
Sub Divisional Magistrate
Karanpur